भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, में सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर)के अनुपालन में, केन्द्रीयं कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का में सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री अंबा दत्त बवारी, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते है।

(अंबा दत्त बवाड़ी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उप-खडं (1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,.............2019

सा.का.नि. ....राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान, आसका, ओडिशा में सफ़ाई निरीक्षक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2001 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान, आसका ओडिशा में सफ़ाई निरीक्षक के पद पर भर्ती कि पद्ति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनातें हैं, नामत:

7. **लघु शीर्षक और प्रारभं- (1)** इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आसका, ओडिशा सफ़ाई निरीक्षक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(8) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में यें स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जांएगे।

3. **भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि**- भर्ती कि पद्ति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. **अनर्हता**-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुंबध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसनें अपनें पति/पत्नी के जिवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुंबध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नही होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफ़ाई निरीक्षक	एक पद * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु. (25500 से 81100)	लागु नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच(केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशो और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक ढील दी जा सकती है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्ति भर्ती सीधें होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
3. 10वी कक्षा उतीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविघालय से सदृश अर्हता। 4. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का सफ़ाई निरीक्षक का डिप्लोमा/प्रमाणपत्र ।	लागू नही	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती से

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करनें में किन परिस्थियों में संघ लोक

वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नही	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगें:- 1.निदेशक-आरएलटीआरआई आसका - अध्यक्ष 2.मुख्य चिकित्सा अधिकारी - आरएलटीआरआई आसका -सदस्य 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आरएलटीआरआई, आसका-सदस्य 4. क्षेत्र में दूसरे केंद्र/राज्य के राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नही